

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय: फोन न. 07749-223904 ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2022 1645  
प्रति,

बालोद, दिनांक 07/10/2022

मुख्य वन संरक्षक  
दुर्ग वृत्त दुर्ग

**विषय :-** Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021)

**संदर्भ:-** 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-889-A/1996 दिनांक 06.09.2022  
2.आपका पत्र क्र./तक.अधि/6120 दिनांक 17.08.2022

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021) से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकरण म ऑनलाईन 03 एवं आफलाईन 01 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी है, आपत्ति के निराकरण कर पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:-

**ऑनलाईन त्रुटियां :-**

| क्र        | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |                |     |       |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1          | Form A Part-II के कॉलम नं. 3 (District wise area to be Diverted in the Division) में 721.873 का उल्लेख किया गया है। जो सही नहीं है। सही जानकारी 2.895 हे0 है।                                                                                                                                               | Form A Part-II के अनुसार व्यपवर्तन रकबा 2.895 हे0 क्षेत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है।                                                                                                                                                           |            |             |                |     |       |       |       |       |
| 2          | वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग -2 के कॉलम नं. 6 (i) में भौगोलिक क्षेत्रफल - 3605.60 वर्ग कि.मी. 6 (ii) में वन क्षेत्रफल -862.920 वर्ग कि.मी. ऑनलाईन Form A Part-II के कॉलम नं. 14 District Profile में Geographical area of the District (in ha.) - 360500 and Forest area-86290 उल्लेख किया गया। | वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग -2 में भौगोलिक एवं वन क्षेत्रफल सुधार कर हेक्टेयर में लेख कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।<br>भौगोलिक क्षेत्रफल - 360500.00 हेक्टेयर<br>वन क्षेत्रफल - 86292.00 हेक्टेयर                                 |            |             |                |     |       |       |       |       |
| 3          | Form A Part-II के कॉलम नं. 15 (Site Inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer Highlighting Important facts Pertaining to the forest land) में प्रपत्र -3 में अपलोड किया गया है। उक्त प्रपत्र -3 के बिन्दु क्रमांक - 5 वन भूमि के विस्तृत वन भूमि विवरण (यथा संरक्षित/आरक्षित) नहीं दिया गया है।        | आरक्षित/संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि को पृथक-पृथक ऑनलाईन अपलोड किया गया है। <table><tr><th>आरक्षित वन</th><th>संरक्षित वन</th><th>राजस्व वन भूमि</th><th>योग</th></tr><tr><td>2.487</td><td>0.244</td><td>0.164</td><td>2.895</td></tr></table> | आरक्षित वन | संरक्षित वन | राजस्व वन भूमि | योग | 2.487 | 0.244 | 0.164 | 2.895 |
| आरक्षित वन | संरक्षित वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राजस्व वन भूमि                                                                                                                                                                                                                                | योग        |             |                |     |       |       |       |       |
| 2.487      | 0.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.164                                                                                                                                                                                                                                         | 2.895      |             |                |     |       |       |       |       |

**ऑफलाईन त्रुटियां :-**

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रपत्र-3 वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक -5 वन भूमि का विस्तृत विवरण में वन भूमि रकबा 2.731 हे० अंकित किया गया है। संरक्षित एवं आरक्षित वन का पृथक-पृथक रकबा का विवरण नहीं दिया गया है। | वनमंडलाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-3 में व्यपवर्तित होने वाले आरक्षित/संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि का पृथक-पृथक विवरण तैयार कर प्रस्ताव में समाहित किया गया है। |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |                |       |
|------------|-------------|----------------|-------|
| आरक्षित वन | संरक्षित वन | राजस्व वन भूमि | योग   |
| 2.487      | 0.244       | 0.164          | 2.895 |

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रपत्र-3 अनुशंसा सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (03 प्रतियों में)
3. टाईम लाईन।

क्रमांक/तक.अधि./2022 1846  
प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद

बालोद, दिनांक ...../10/2022

07

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद